

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2021—अग्रहायण 2, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-10-2020-1-पांच (82).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-10-2020-1-पांच (19), दिनांक 26 मार्च 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में, “उक्त अधिनियम की धारा 25 की” शब्दों के पश्चात् “उपधारा (6क) या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर, 2021 से प्रवृत्त समझी मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-10-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-10-2020-1-पांच (82), दिनांक 23 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd November 2021

No. F A 3-10-2020-1-V-(82).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of Section 25 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this Department's notification No.-F-A-3-10-2020-1-V (19), dated the 26th March, 2021, namely :—

In the said notification, in the first paragraph after the words "hereby notifies that the provisions of", the words, brackets, figure and letter "sub-section (6A) or" shall be inserted.

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 24th day of September, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.